न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर,

(220)

निग-3248-I-16

1— श्रीमति शोभारानी पत्नि स्व0 कंछेदी लाल यादव

2— राजेश बल्द कंछेदी लाल यादव

दोनों निबासी खुरई, तह0 खुरई, जिला सागर

.............आवेदकगण

वनाम

1— श्रीमति प्रभा पत्नि उमाशंकर यादव, फौत , वरिसान

अ— शैलेन्द्र तनय उमाशंकर यादव ,

ब— ह्रदेश तनय उमाशंकर यादव ,

स— रेखा तनय उमाशंकर यादव ,

द— सोना पुत्री उमाशंकर यादव ,

निबासी— मकरोनिया सागर, तह0 एवं जिला सागर

2— श्रीमति तारा पत्नि बाबूलाल यादव

निबासी देवरी, तह0 देवरी जिला सागर .... अनावेदकगण

3— कैलाश बल्द कंछेदी यादव,

निबासी खुरई, तहसील खुरई, जिला सागर

.... तरतीबी अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी तहसीलदार खुरई, जिला सागर द्वारा प्र0क0 19/अ—6/08—09 मे पारित आलोच्य आदेश दिनांक 09/06/2010 से परिवेदित होकर कर रहा है। जिसे सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है।

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क्र. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०-142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451902

R. 1

22/9/16

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3248/I/2016 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **श्रीमति शोभा व अन्य वनाम श्रीमति प्रभा व अन्य**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-1-17	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदकगण के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटैरिया द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खुरई, जिला सागर द्वारा, प्र0क0 19/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 09/06/2010 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ सूची अनुसार अधिनस्थ न्यायालय के संपूर्ण प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि, संशोधन पंजी क0 05, एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदकगण की ओर से बिद्वान अधिवक्ता के धारा 05 म्याद अधिनियम के आवेदनपत्र पर तर्क श्रवण किये। बिलंब का कारण समाधानप्रद होने से निगरानी समय सीमा में स्वीकार की जाती है। अनावेदकगण को सूचनापत्र जारी किये गये। जिनमें लेने से इंकार की टीप के साथ बापिस प्राप्त हुये। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदिका कमांक एक के पति एवं आवेदक कमांक दो के पिता कंछेदीलाल थे, जिनका स्वर्गवास उनके पिता मन्नूलाल के सामने ही हो गया था। तदुपरांत मन्नूलाल का स्वर्गवास हुआ, जिनके स्वर्गवास के उपरांत उनके नाम से मौजा खुरई, पटवारी हल्का नं0 17, में खसरा नं0 341/1/ख में दर्ज भूमि रकवा 7.71 एकड़ , पर ग्राम खुरई की नामांतरण पंजी कमांक 105, दिनांक 28/03/1994, के आधार पर आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 03 का नाम दर्ज हुआ था। उपरोत भूमि पर आवेदकगण ही काबिज चले आ रहे हैं। अनावेदकगण कमांक 01 व 02 के द्वारा एक आवेदनपत्र तहसीलदार खुरई, के समक्ष अंतर्गत धारा 109,110 क इस आशय का प्रस्तुत किया कि, उपरोक्त भूमि मन्नूलाल यादव के नाम से थी, मन्नूलाल यादव का काफी समय पूर्व स्वर्गवास हो चुका है, मन्नूलाल के तीन बारिस थे, कंमशः कंछेदी लाल (अपीलार्थीगण के पति व पिता) प्रभा (अनावेदिका क0 एक) तथा श्रीमति तारा (अनावेदिका कंमाक 02) थे। पिता मन्नूलाल की मृत्यू के उपरांत उनके नाम की भूमि अकेले पुत्र कंछेदी लाल की मृत्यु होने के कारण आवेदकगण का नाम दर्ज कर दिया गया। अनावेदिकागण के नाम नामांतरण के समय छोड़ दिये गए। उनके नाम भी दर्ज किये जावें। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा उपरोक्त	

(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 3248 /I/2016

प्रकरण पंजीबद्ध करके, आवेदकगण को प्रकरण में उपस्थित कराये बगैर ही उन्हें साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही, दिनांक 09/06/2010 को प्रश्नाधीन आदेश पारित करके, वादभूमि में अनावेदिका क्रमांक 02 व 03 का नाम 1/3 हक मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3— मैंने निगरानी के साथ प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण की प्रामणित प्रतिलिपि तथा नामांतरण पंजी क्रमांक 105, का अवलोकन किया गया। उपरोक्त भूमि पर ग्राम खुरई की नामांतरण पंजी क्रमांक 105, दिनांक 28/03/1994, के आधार पर आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 03 का नाम दर्ज हुआ था। जिसे सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बगैर, अनावेदिकागण द्वारा एक आवेदनपत्र संहिता की धारा 109—110 का तहसीलदार खुरई के समक्ष सीधा प्रस्तुत करने पर, तहसीलदार द्वारा आवेदकगण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर ही क्षेत्राधिकार रहित आलोच्य आदेश पारित किया है। तहसीलदार को आवेदकगण के नाम से दर्ज उपरोक्त भूमि का नामांतरण 1/3 हक में अनावेदकगण के नाम से दर्ज करने का तब तक क्षेत्राधिकार नहीं था, जब तक कि नामांतरण पंजी क्रमांक 105, दिनांक 28/03/1994, के आधार पर आवेदकगण के हुये नामांतरण को सक्षम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता। तहसीलदार द्वारा अधिकारिता एवं प्रकिया बिहीन आदेश पारित किया गया है। आवेदिकागण का नाम मात्र उस स्थिति में तहसीलदार को वारिसान हक में दर्ज करने का क्षेत्राधिकार था, यदि वाद भूमि आवेदनपत्र प्रस्तुति दिनांक को मन्नूलाल के नाम पर दर्ज होती। जबकि उपरोक्त दिनांक को वाद भूमि आवेदकगण के नाम से थी।

4— अनावेदकगण द्वारा नामांतरण के करीब 20 साल बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, बीस साल तक नामांतरण पर कोई आपत्ति भी नहीं की गई है। जिसे स्वीकार करके आदेश पारित किया गया है। अनावेदकगण के पिता का स्वर्गवास 2005 के पूर्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संशोधन क्रमांक 39 बर्ष 2005 के पूर्व हो चुका है तथा नामांतरण भी उसी समय हो गये थे। जिस कारण से उपरोक्त संपत्ति में अनावेदिकागण को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होगा। *माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रानि 2016 पार्ट 01 पृष्ठ 193, उत्तम विरूद्व सौभाग्य सिंह तथा अन्य, सिविल अपील क्रमांक 2360/2016 (एस.एल.पी. (सिविल)क्रमांक 6036सन 2014 से उत्पन्न) — में स्पष्ट ब्यवस्था प्रदान की है कि :—"धारा 06 परंतुक — उपवंधों का लागू होना— ऐसे मामलों में लागू नहीं होते— जो संधोधन अधिनियम के पृवृत्त होने के पूर्व उत्पन्न*

हुये हैं''। अर्थात– धारा 06 का परंतुक उन्हीं मामलों में लागू होगा जो कि संशोधन पृवृत्त होने के पश्चात उत्पन्न हुये हों।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 06 का परंतुक– *''परंतु इस धारा में अन्तर्विष्ट, कोई बात दिसंबर 2004 के 20 दिन वें दिन के पूर्व किये गये संपत्ति के ब्ययन या अन्य संक्रामण को जिसके अंतर्गत संपत्ति का बिभाजन या बसीयत ब्ययन भी है, को प्रभाबित या अविधिमान्य नहीं करेगी। ''*

अर्थात– जिस संपत्ति में 20 दिसंबर 2005 को या उसके पूर्व किसी प्रकार का कोई बिबाद हक, नामांतरण, उत्तराधिकार या बसीयत संबंधी उत्पन्न नहीं था, उस संपत्ति में संशोधन का प्रभाव नहीं होगा।

4– अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 109 एवं 110 के प्रावधानों का दुरूपयोग किया गया है, संहिता की धारा 109 के अनुसार कोई भी ब्यक्ति, जो भूमि में कोई अधिकार या हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किये जाने की रिपोर्ट, ऐसे अर्जन की तारीख से छह माह के भीतर पटवारी को मौखिक रूप से या लिखित में करेगा। , और पटवारी ऐसी रिपोर्ट के लिये लिखित अभिस्वीकृति की रिपोर्ट करने वाले ब्यक्ति को बिहित प्रारूप में तत्काल देगा।'' परंतु जब अधिकार अर्जित करने बाला ब्यक्ति अवयस्क हो या अन्यथ निरर्हित हो, तो उसका संरक्षक या ऐसा अन्य ब्यक्ति, जो उसकी संपकत्ति का भारसाधक हो, पटवारी को ऐसी रिपोर्ट करेगा'' । इसी प्रकार 109 (2) में व्यवस्था है कि ''कोई भी ऐसा ब्यक्ति , जो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है, अपने द्वारा ऐसे अधिकारों के अर्जन की लिखित रिपोर्ट, ऐसे अर्जन की तारीख के छह मास के भीतर , तहसीलदार को भी देगा। ''

अनावेदिकागण के पिता मन्नूलाल का स्वर्गवास होने के उपरांत बर्ष 1994 में करीब 20 साल पूर्व आवेदकगण के नाम से उपरोक्त पंजी के आधार पर नामांतरण हो गया था, जिसके बीस साल बाद उपरोक्त धारा में आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार को उसे स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार ही नहीं था।

इसी प्रकार संहिता की धारा 110 में प्रावधान है कि ''पटवारी अधिकार के प्रत्येक ऐसे अर्जन को, जिसकी कि रिपोर्ट उसे धारा 109 के अधीन की गई हो या जो ग्राम पंचायत या किसी अन्य श्रोत से प्राप्त प्रज्ञापना पर से उसकी जानकारी में आये, उस रजिस्टर में दर्ज करेगा जो कि उस प्रयोजन के लिये विहित किया गया है।'' इसी प्रकार उपधारा

(4) निगरानी प्रकरण क्रमांक 3248 /I/2016

02 में लेख है कि– "पटवारी अधिकार अर्जन संबंधी समस्त ऐसी रिपोर्टें ,जो उपधारा 01 के अधीन उसे प्राप्त हुई हों , उन रिपोर्टों को उसे प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर तहसीलदार का प्रज्ञापित करेगा।" इसी धारा की उपधारा 04 में लेख है कि तहसीलदार हितबद्व व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, जैसी वह आवश्यक समझे करने के पश्चात, क्षेत्र पुस्तक तथा अन्य सुसंगत भू अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।"

इस प्रकरण में अनावेदिकगण द्वारा दिनांक 26/09/2008 को आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके छह माह पूर्व उनको किसी भी प्रकार का विधिपूर्ण अर्जन वादभूमि पर प्राप्त नहीं हुआ। उपरोक्त कारणों से तहसीलदार की संपूर्ण कार्यवाही एवं प्रश्नाधीन आदेश विधि विरूद्व, प्रकिया विहीन एवं क्षेत्राधिकार रहित है।

अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, बिचारण न्यायालय तहसीलदार खुरई द्वारा प्र0क0 19/अ–6/08–09 में पारित आदेश दिनांक 09/06/2010 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार खुरई को आदेशित किया जाता है कि, आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 03 का नाम वादभूमि पर पूर्ववत राजस्व अभिलेख/कंप्यूटर अभिलेख में दर्ज किया जाबे। अनावेदकगण चाहें तो अपने स्वत्व का निराकरण व्यवहार न्यायालय से कराने के लिये स्वतंत्र हैं। उभयपक्ष सूचित हों, प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य